पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 229/2018

अनवान :

1. राकेश कुमार पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। राजस्थान
2. प्रमोद पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान
3. संदीप पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान

– वादीगण

बनाम

1. जयसिंह पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री राजेन्द्र गोयल एवं वकील प्रतिवादी श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 8 डीपीएन के खाता सं0 45/44 में मुरबा नं0 35 के किला नं0 16/1 की 0.202 है0 किला नं0 17 ता 24 की 2.024 है0 किला नं0 25/1 की 0.202 है0 मु0नं0 40 के किला नं0 1 ता 4 की 1.012 है0 किला नं0 5/1 की 0.202 है0 किला नं0 6/1 की 0.202 है0 किला नं0 7 ता 14 की 2.024 है0 किला नं0 15/1 की 0.202 है0 किला नं0 16/1 की 0.202 है0 किला नं0 17 ता 22 की 1.518 है0 कुल 5.362 है0 नहरी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी जयसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 8 डीपीएन के खाता सं0 81/79 के मु0नं0 40 के किला नं0 23, 24 की 0.506 है0 किला नं0 25/1 की 0.202 है0, मु0नं0 48 के किला नं0 5, 6, 15, 163, 25 की 1.265 है0 मु0नं0 49 के किला नं0 1 ता 4 की 1.012 है0 किला नं0 5/1 की 0.202 है0 किला नं0 6/1 की 0.202 है0 किला नं0 7 ता 14 की 2.024 है0 किला नं0 15/1 की 0.202 है0 किला नं0 16/1 की 0.202 है0 किला नं0 17 ता 24 की 2.024 है0 कुल 7.841 है0 (नहरी 7.716 है0 गै0मु0 खाला 0.125 है0) खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। जिसमें प्रतिवादी जयसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी है में अकेले प्रतिवादी जयसिंह के बजाय वादीगण व प्रतिवादी जयसिंह चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी जयसिंह के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.1.19... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 229/2018

अनवान :

1. राकेश कुमार पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। राजस्थान
2. प्रमोद पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान
3. संदीप पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राजस्थान

– वादीगण

बनाम

1. जयसिंह पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

– प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषाण व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र गोयल **: वादीगण**
वकील श्री संदीप गोदारा **: प्रतिवादी**

निर्णय **दिनांक :** 25.1.19

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 डीपीएन के खाता सं0 45/44 में मुरबा नं0 35 के किला नं0 16/1 की 0.202 है0 किला नं0 17 ता 24 की 2.024 है0 किला नं0 25/1 की 0.202 है0 मु0नं0 40 के किला नं0 1 ता 4 की 1.012 है0 किला नं0 5/1 की 0.202 है0 किला नं0 6/1 की 0.202 है0 किला नं0 7 ता 14 की 2.024 है0 किला नं0 15/1 की 0.202 है0 किला नं0 16/1 की 0.202 है0 किला नं0 17 ता 22 की 1.518 है0 कुल 5.362 है0 नहरी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी जयसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 8 डीपीएन के खाता सं0 81/79 के मु0नं0 40 के किला नं0 23, 24 की 0.506 है0 किला नं0 25/1 की 0.202 है0, मु0नं0 48 के किला नं0 5, 6, 15, 163, 25 की 1.265 है0 मु0नं0 49 के किला नं0 1 ता 4 की 1.012 है0 किला नं0 5/1 की 0.202 है0 किला नं0 6/1 की 0.202 है0 किला नं0 7 ता 14 की 2.024 है0 किला नं0 15/1 की 0.202 है0 किला नं0 16/1 की 0.202 है0 किला नं0 17 ता 24 की 2.024 है0 कुल 7.841 है0 (नहरी 7.716 है0 गै0मु0 खाला 0.125 है0) खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। जिसमें प्रतिवादी जयसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी है।

वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का भी जन्म से हक निहित है। चूंकि प्रतिवादी परिवार का कर्ता खानदान है। इसलिए वाद भूमि तन्हा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
जिला हनुमानगढ़

उसके नाम खातेदारी दर्ज हो गई। वाद भूमि तन्हा प्रतिवादी के नाम खातेदारी दर्ज रहने से वादीगण के अधिकारों को क्षति पहूंचती है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी ने वादी की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादीगण में वादी प्रमोद पुत्र जयसिंह के बयान करवाये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर 8 डीपीएन प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 8 डीपीएन खाता सं0 45/44 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 8 डीपीएन खाता सं0 81/79 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 6, 8, 9, 12, चित्रप्रति मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 7, 10, 11, 13 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का भी जन्म से हक निहित है। महज कर्ता खानदान होने के नाते प्रतिवादी के नाम तन्हा खातेदारी दर्ज हो गई।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 8 डीपीएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में वाद भूमि पैत्रक कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 8 डीपीएन खाता सं0 81/79 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाई है जिसकी पूर्व की प्रविष्टि में वाद भूमि वादीगण के दादा लालचन्द वल्द सुखराम के नाम दर्ज है व प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 8 डीपीएन खाता सं0 45/44 प्रदर्श 2 में पूर्व की प्रविष्टि वादीगण की दादी भतेरी जोजा लालचन्द के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रदर्श 4 में जयसिंह के वारिसान में तीन पुत्र राकेश कुमार, प्रमोद, संदीप कुमार होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 8 डीपीएन के खाता सं0 45/44 में मुरबा नं0 35 के किला नं0 16/1 की 0.202 है0 किला नं0 17 ता 24 की 2.024 है0 किला नं0 25/1 की 0.202 है0 मु0नं0 40 के किला नं0 1 ता 4 की 1.012 है0 किला नं0 5/1 की 0.202 है0 किला नं0 6/1 की 0.202 है0 किला नं0 7 ता 14 की 2.024 है0 किला नं0 15/1 की 0.202 है0 किला नं0 16/1 की 0.202 है0 किला नं0 17 ता 22 की 1.518 है0 कुल 5.362 है0 नहरी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी जयसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 8 डीपीएन के खाता सं0 81/79 के मु0नं0 40 के किला नं0 23, 24 की 0.506 है0 किला नं0 25/1 की 0.202 है0, मु0नं0 48 के किला नं0 5, 6, 15, 163, 25 की 1.265 है0 मु0नं0 49 के किला नं0 1 ता 4 की 1.012 है0 किला नं0 5/1 की 0.202 है0 किला नं0 6/1 की 0.202 है0 किला नं0 7

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़

ता 14 की 2.024 है0 किला नं0 15/1 की 0.202 है0 किला नं0 16/1 की 0.202 है0 किला नं0 17 ता 24 की 2.024 है0 कुल 7.841 है0 (नहरी 7.716 है0 गै0मु0 खाला 0.125 है0) खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। जिसमें प्रतिवादी जयसिंह का 1/2 हिस्सा खातेदारी है में अकेले प्रतिवादी जयसिंह के बजाय वादीगण व प्रतिवादी जयसिंह चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी जयसिंह के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़